UPSIDA

कार्यालय उप महाप्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड-प्रथम
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद। website: https://onlineupsidc.com

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण के विभिन्न जनपदों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में सिविल कार्यों, विकास एवं अनुरक्षण रख-रखाव के कार्यों हेतु सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/नगर निकायों में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से अल्पकालीन/पूर्ण कालीन ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्रम सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि (रु. करोड़ में)	ई-निविदा खोलने की तिथि व समय	श्रेणी
1.	Providing & Fixing Signage Board & Road Safety Devices at I.A. Pilakhni, Saharanpur.	12.11	दिनांक 05.06.2023 को 11.00 बजे या इसके पश्चात	Class-C & Above

उक्त कार्यों की निविदा दिनांक 27.05.2023 को 11.00 बजे से दिनांक 03.06.2023 को सायं 05:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। निविदाताओं द्वारा शपथपत्रों की मूल प्रतियाँ दिनांक 08.06.2023 को सायं 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा की जा सकती हैं।
नोट : 1. निविदा दाता अपनी निविदाओं में समस्त कर एवं जी0एस0टी0 सहित दरें अंकित करें। अलग से कोई कर देय नहीं होगा। **2.** निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी वेबसाइट https://onlineupsidc.com पर स्थापित लिंक यूपीएलसी की website: https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

उप महाप्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड-प्रथम, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, गाजियाबाद।

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)

एसबीयू: कोल्ड चेन,
5 जे एन हेरेडिया मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001
पंजीकृत कार्यालय: 21, एन. एस. रोड, कोलकाता-700 001, सीआईएन : L15492WB1924GOI004835

इच्छा की अभिव्यक्ति (ईओआई)

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, एसबीयू: कोल्ड चेन के पैनल में शामिल होने के लिए अनुभवी और आर्थिक रूप से मजबूत परिवहन सेवा प्रदाताओं से पूरे भारत में विभिन्न श्रेणियों के तापमान नियंत्रित वाहन (रीफर वाहन) उपलब्ध कराने के लिए समर्पित/ऑन-कॉल आधार पर ऑफलाइन ईओआई आमंत्रित की जाती है।
ईओआई संख्या: बीएल/सीसी/ईओआई/23-24/001 दिनांक: 26.05.2023 देय तिथि: 08.06.2023
कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र जब भी आवश्यक हो केवल कंपनी की वेबसाइट **www.balmerlawrie.com** पर अपलोड किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति/संस्थान कोई भी अद्यतन हेतु इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।

संपर्क व्यक्ति - श्री राजेश पाटिल
टेलीफोन संख्या: +91 8983370959; ईमेल: patil.br@balmerlawrie.com

---

Can Fin Homes Ltd (Sponsor: CANARA BANK) HOME LOANS + DEPOSITS

केन फिन होम्स लिमिटेड

डीडीए बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर पारस सिनेमा, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019 फोन: 011-26435815, 2643023, 011-26487529, 7625079108 ईमेल: delhi@canfinhomes.com
CIN : L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के तहत धारा 13(2) के तहत नियम के 3 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **02.02.2023** को जारी की थी जिसमें कर्जदार **श्रीमती संदीपा अशोक भट पत्नी संजू कौल** एवं **श्री संजू कौल पुत्र गिरधारी लाल कौल** से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि **रु.12,38,983/–** और **31.01.2023** से अब तक का ब्याज उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी।
कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक **22 मई 2023** को प्राप्त कर लिया है।
सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि **रु. 4,76,308/–** और उस पर आगे ब्याज व अन्य शुल्क प्रभाराधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
(फ्लैट सं. एफ–2, प्रथम तल, प्लॉट सं.229, शालिमार गार्डन–1, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005, क्षेत्रफल परिमाप 750 वर्ग फुट लगभग)
उत्तर: फ्लैट सं. एफ–2 दक्षिण: अन्य सम्पत्ति
पूर्व: रास्ता पश्चिम: अन्य सम्पत्ति

तिथि: 26.05.2023 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: नई दिल्ली केन फिन होम्स लिमिटेड

HG INDUSTRIES LIMITED
(Formerly Himalaya Granites Limited)
Regd.Office : 203, 2nd Floor, West Wing,
Worldmark 1, Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi - 110037
CIN: L20100DL1987PLC408363, Telephone: +91-11-42791399,
Website: www.hgl.co.in , Email: investors@hgl.co.in

Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023
(₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars		Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations		-	-	-	35.70
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax)		(18.99)	37.11	(87.74)	5.63
3	Net Profit/(Loss) for the period (after Tax)		(8.33)	34.13	(74.96)	2.65
4	Total Comprehensive Income		(7.93)	29.46	(79.09)	(2.02)
5	Equity Share Capital		231.68	231.68	231.68	231.68
6	Reserves (excluding Revaluation Reserves)				(139.95)	(60.86)
7	Earnings Per Share (of ₹ 5/- each)	i. Basic (₹):	(0.18)*	0.74*	(1.62)	0.06
		ii. Diluted (₹):	(0.18)*	0.74*	(1.62)	0.06

* Not annualised
Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly/ Annual Financial Results are available on website of BSE Limited at 'www.bseindia.com' and also at the website of the Company at 'www.hgl.co.in'.
2. The Company does not have any Exceptional and Extraordinary item to report during the above periods.

By order of the Board
Ramesh Kumar Haritwal
Managing Director & CEO
[DIN: 01486666]

Place : New Delhi
Date : May 26, 2023

जिंदल सॉ लिमिटेड

सीआईएन – L27104UP1984PLC023979
पंजीकृत कार्यालय: ए–1, यूपीएसआईडीसी इडं . एरिया, नंद गांव रोड कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403
कॉर्पोरेट कार्यालय: जिंदल सेंटर, 12, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 066

सूचना

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में सूचना दी जाती है कि कंपनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 20 जून, 2023 को दोपहर 12.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य आडियो वीजुवल मीन्स (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जायेगी और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाने का नोटिस 26 मई, 2023 को इलेक्टॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को भेजा गया हैं, जो 19 मई, 2023 को कंपनी के शेयर धारक हैं। एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.jindalsaw.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमश उपलब्ध है।
एजीएम की सचूना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सचूना के प्रसार की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्टॉनिक रूप से उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य investors@jindalsaw.com पर एक ई– मेल भेज सकते हैं।

एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग:
कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (''ई–वोटिंग'') द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य यहां नीचे उल्लिखित तारीखों (''रिमोट ई–वोटिंग'') के माध्यम से दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाओं को लिया गया हैं।
एजीएम में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों और शेयर हस्तांतरण पुस्तकों का रजिस्टर 14 जून, 2023 से 20 जून, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।
एजीएम की सूचना में निर्देश शामिल हैं जिसमें डीमैटरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान सहित मतदान के तरीके शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि (यहां नीचे उल्लिखित) के अनुसार शेयर रखता है /सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, उसे प्राप्त / उत्पन्न कर सकते हैं, एजीएम के नोटिस में भी दिया गया है।
रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:
रिमोट ई–वोटिंग का प्रारंभ : शनिवार 17 जून, 2023 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति : सोमवार 19 जून, 2023 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी)
उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए मान्य होंगे। एक व्यक्ति, जिसे कट–ऑफ तिथि, यानी 13 जून, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है वो केवल एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
सदस्य ई–वोटिंग के निर्देशों को एजीएम नोटिस में देख सकते हैं अथवा https://evoting.nsdl.com. पर जा सकते हैं और किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं जो https://evoting.nsdl.com. के डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिएउपलब्ध हैं।

जिंदल सॉ लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
सुनिल के जैन
कम्पनी सचिव
एफसीएस–3056

स्थान: नई दिल्ली
तिथि : 26.05.2023

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: मुख्य अभियंता (जल) प्रॉजेक्ट–1,
कार्यपालक अभियंता (प्रॉजेक्ट) डब्ल्यू–VIII
ए–बिल्डिंग, झण्डेवालान, नई दिल्ली–110005, ई–मेल: eeprojectw8@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

एन.आई.टी. सं. 01/(2023–24)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि/ धरोहर राशि (रु.)	निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क (रु.)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	अंडर पास के निर्माण (डिपॉजिट कार्य) को सुगम बनाने के लिये ईएसआई हॉस्पीटल बसई दारापुर मेट्रो स्टेशन, रिंग रोड में 1100 एमएम डाया वेस्ट दिल्ली मैन का शिफ्टिंग। निविदा आईडी नं. 2023_DJB_241807_1	रु. 9207146/– रु. 184200/– (आरटीजीएस द्वारा प्रेषित की जाएगी)	रु. 1000/– (अप्रतिदेय)	26.05.2023	12.06.2023 के 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट **https://delhigovtprocurement.com** पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 46(2023–24)

हस्ता/–
(पी.के. शर्मा)
कार्यपालक अभियंता (प्रॉजेक्ट) डब्ल्यू–VIII

''कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें''

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: 502, टॉवर–ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013
परिमंडल कार्यालय: 9वीं, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत। अधोहस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की हैं, जिनमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं) (''उक्त ऋणकर्ता(ओं)'') को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं) में अंकित राशियों का, जो नीचे भी दी गई हैं, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवसों के अंदर उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋणानुबंध के अंतर्गत भुगतानयोग्य, यहां इसमें निम्नांकित राशियों का निम्न अंकित तिथि(यों) से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक राशियों पर आकलित भावी लागूयोग्य ब्याज के साथ सीजीसीएल को भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा सीजीसीएल के पास क्रमशः बंधककृत रखा गया है।

क्र सं	ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या LNCGCAMBTL0000007065 एवं LNMEAMB000023874, अंबाला शाखा) सुरिंदर कुमार (उधारकर्ता) और नरिंदर कुमार द्वारा केआरके मोबाइल सेंटर ऐंड कन्फैक्शनरी स्टोर, श्रीमती भावना द्वारा केआरके मोबाइल सेंटर ऐंड कन्फैक्शनरी स्टोर (अपने स्वामी के माध्यम से) (सह–उधारकर्ता)	19–मई–23 रु. 25,20,833/–	''संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो भूमि रकबा, 4 मारले पर, खेवट सं. 1248/1205, खतौनी सं. 1324 के अंदर, वर्ष 2014–2015 की जमाबंदी के अनुसार, आयत सं. 42, खसरा सं. 2, रकबा 2 कनाल, 3 मारले ऑफ 4/43 पार्ट बकदर, वाका रकबा पट्टी झामरा, तहसील शाहबाद, मरकंदा, कुरुक्षेत्र, हरियाणा–136135 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है: उत्तर– संजय कुमार का मकान, दक्षिण– सड़क, पूर्व– श्री अशोक कुमार का मकान, पश्चिम– अश्विनी कुमार का मकान।''

यदि उक्त ऋणकर्ता(गण) उपर्युक्तानुसार सीजीसीएल को भुगतान करने में विफल होंगे तो सीजीसीएल लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त ऋणकर्ताओं के संपूर्ण जोखिमों पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागूयोग्य नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों के समक्ष कार्रवाई करेगी। उक्त ऋणकर्ताओं को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे उपर्युक्त परिसंपत्तियों का सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

स्थान: कुरुक्षेत्र दिनांक: 27–05–2023 **हस्ता/– (प्राधिकृत अधिकारी) कृते कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल)**

पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड

(पूर्व का मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : 201 एवं 202, 2सरा तल, एपी81, कोरेगांव पार्क एनेक्स, मुंधवा, पुणे–411 036, महाराष्ट्र
कार्याल इकाई : पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, एससीओ 75, दूसरा तल, फेज 9, मोहाली–160062

ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात ''अधिनियम'' सन्दर्भित के तहत प्रतिभूत अचल आस्ति की बिक्री

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदारों/सह–कर्जदारों/जमानतियों को सूचना दी जाती है कि पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड (पूर्व का मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड) निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से जिसका नाम बदलकर पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड कर दिया गया है, के पास नीचे उल्लिखित बंधक सम्पत्तियाँ, जिसका कब्जा अधिनियम की धारा 13(4)/14 के तहत कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, प्रयोज्य ब्याज, प्रभारों तथा लागतों आदि सहित कम्पनी के बकायों की वसूली के लिए निम्नलिखित शर्तों के अनुसार ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति की बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम (इसके पश्चात नियम सन्दर्भित) के नियम 8 एवं 9 के तहत ''जहाँ है जैसे, जो कुछ भी है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर की जा रही है।

1. कर्जदारों/सह–कर्जदारों/जमानतियों के नाम 2. मांग सूचना की तिथि 3. कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण तथा सम्पत्ति की प्रकृति	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी (जमा धरोहर राशि) जमा करने की अन्तिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	1. आरक्षित मूल्य (लाख में) 2. ईएमडी राशि (लाख में)
जगदीश मैसर्स जगदीश एण्ड सन्स रोशनी देवी 2. सूचना की तिथि : 20.11.2021 3. ऋण सं. : HL/0035/H/13/000037 4. कुल बकाया : रु. 33,65,402/– (रुपये तैंतीस लाख पैंसठ हजार चार सौ दो मात्र) तिथि 19.11.2021 को देय तथा वसूली तक 15.80% की दर से ब्याज	बंधक सम्पत्ति खेवत सं. 134, खतौनी सं. 283 टीए 316 तथा खेवट सं. 141, खैराती रोड ऑफिसर कॉलोनी, फतेहाबाद, पिन–125050 का समस्त भाग	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 29.06.2023 (11 बजे पूर्वा.– 2 बजे अप.) 2. ईएमडी (जमा धरोहर राशि) जमा करने की अन्तिम तिथि 27.06.2023 को 5 बजे अप. से पूर्व 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय 22.06.2023 (11 बजे पूर्वा.– 4 बजे अप.)	1. आरक्षित मूल्य (लाख में) : रु. 47,69,818/– (रुपये सैंतालीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ अठारह मात्र) 2. ईएमडी राशि (लाख में) : रु. 4,76,982/– (रुपये चार लाख छिहत्तर हजार नौ सौ बयासी मात्र)

इच्छुक संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे शाखा पर आयें और नीलामी के लिए रखी परिसम्पत्तियों को देखें तथा प्रभारों, ऋणभारों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना प्राप्त करें। क्रेता को स्वयं पूछताछ करनी होगी और अतिरिक्त प्रभारों, ऋणभारों तथा तृतीय पक्ष के हितों को सुनिश्चित करें और इसके प्रत्येक पक्ष से आश्वस्त हों। सम्पत्ति से सम्बद्ध समस्त सांविधिक बकाये जैसे सम्पत्ति कर, विद्युत देनदारी तथा कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, सफल संविदाकार(रों)/प्रत्याशित क्रेता(ओं) द्वारा सुनिश्चित एवं अदा करनी होगी। संविदाकार(रों)/प्रत्याशित क्रेता(ओं) के हित में उनसे निवेदन है कि वे संविदाएँ जमा करने से पूर्व उपर्युक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में एवं उपर्युक्त से सम्बन्धित अन्य प्रासंगिक विवरणों के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लें।

ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें
1. नीलामी/विक्रय वेबसाइट https://123done.in के माध्यम से उपर्युक्त तालिका में लिखित तिथि पर 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित ऑनलाइन ई–नीलामी/संविदा सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को पहले से उपर्युक्त पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करके पूर्व में ही नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स ऑजियो एसेट मैनेजमेंट, एच–182, सेक्टर 63, नोएडा 201301, नं. +91 7428993244/+91 7428695102/ ई–मेल आईडी : shekhar.s@cartradeexchange.com से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जो ई–नीलामी में भाग लेने के लिए अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें कि प्रत्याशित संविदाकार केवल इन्हीं से ई–नीलामी हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/संविदाकार को ''पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड'', बैंक– आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, सीसी खाता सं. 000651000350 तथा आईएफएससी कोड : ICIC0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता–700001 के खाते में 27.06.2023 तक या इससे पूर्व किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक से आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी और https://123done.in पर अपना नाम पंजीकृत करके सेवा प्रदाता से निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा और सेवा प्रदाता से ई–नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के पश्चात इच्छुक क्रेता/संविदाकार को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ अपलोड, ई–मेल करनी होंगी और स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी (सम्बद्ध प्रबन्धक पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड) श्री राजेश भाटिया, पताः पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, एससीओ 75, दूसरी मंजिल, फेज–9, मोहाली–160062, मोबाइल नं. 6284419316 ई–मेल आईडी : rajesh.bhatia1@poonawallafincorp.com पर भेजनी होगी।
2. नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई–नीलामी भागीदारी करना अनिवार्य है जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा जो वेबसाइट पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध है। संविदाकारों को अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व तथा ई–नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए वेबसाइट https://123done.in देखने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन संविदा ऊपर लिखित संगठन की वेबसाइट पर सम्पन्न की जायेगी और निविदा/ई–नीलामी दस्तावेज में निहित नियमों एवं शर्तों का विषय होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट https://123done.in से डाउनलोड की जा सकती हैं अथवा इसे पूनावाला फिनकॉर्प के सम्बद्ध शाखा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन जमा किये गये संलग्नों सहित संविदा प्रपत्र की एक प्रति (यूटीआर नम्बर का उल्लेख भी करें) सम्बद्ध श्री राजेश भाटिया, पताः पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, एससीओ 75, दूसरी मंजिल, फेज–9, मोहाली–160062, मोबाइल नं. 6284419316 ई–मेल आईडी : rajesh.bhatia1@poonawallafincorp.com के पास पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड (पूर्व का मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड) पर उपर्युक्त तिथि एवं समय को अथवा उससे पूर्व जमा करनी होगी।
3. अधिक विवरण तथा पूछताछ के लिए अधिकृत प्राधिकारी नाम : राजेश भाटिया, मोबाइल नं. +91 6284419316 पर सम्पर्क करें।
4. उपर्युक्त कार्यक्रम में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरण समाहित करने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है। अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयानी अथवा चूक के लिए जवाबदेह/उत्तरदायी नहीं होगा।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति केवल आरक्षित मूल्य से अधिक पर बेची जायेगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से एक वृद्धिकारी ऊपर से प्रारम्भ होगी और संविदाकार अपने प्रस्तावों में न्यूनतम रु. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) की क्रमिक वृद्धि करते हुए आपस में बोली लगाने के लिए स्वतन्त्र होंगे।
6. वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड धारक एवं एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धरोहर राशि का भुगतान सुनिश्चित करने वाले संविदाकारों को ही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी अथवा समस्त संविदाओं को किसी भी समय स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये ई–नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय ई–नीलामी को स्थगित करने अथवा निरस्त करने अथवा विलम्बित करने अथवा समाप्त करने या ई–नीलामी के नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।
7. विक्रय उन्हीं क्रेता/संविदाकार के पक्ष में सुनिश्चित किया जायेगा जिन्होंने अधिकृत प्राधिकारी के सम्मुख अपनी संविदा/निविदा/प्रस्ताव में विक्रय के सर्वाधिक मूल्य का प्रस्ताव दिया है, किन्तु यह केवल प्रतिभूत लेनदार द्वारा सुनिश्चित करने का विषय होगा।
8. सफल संविदाकार की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आंशिक विक्रय के पक्ष में रखी/समायोजित की जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल संविदाकार को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा संविदा मूल्य की स्वीकृति के पश्चात पहले से अदा की गयी धरोहर राशि को समायोजित करते हुए विक्रय मूल्य का 25% उसी दिन अथवा अधिक से अधिक अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा। कथित राशि जमा करने में असफल होने पर अब जमा की गयी राशि (धरोहर राशि के रूप में अथवा अन्य रूप में) कम्पनी द्वारा जब्त कर ली जायेगी और अधिकृत प्राधिकारी सम्पत्तियों को पुनः बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा।
9. विक्रय मूल्य का 25% जमा कर देने मात्र से ही सफल संविदाकार अपने पक्ष में विक्रय को सुनिश्चित करने का अधिकारी नहीं होगा। विक्रय अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत जमाकर्ता द्वारा सुनिश्चितीकरण का विषय होगा।
10. उपर्युक्त शर्तों के अनुसार विक्रय मूल्य का 25% जमा करने के पश्चात विक्रय मूल्य का शेष 75% विक्रय सुनिश्चित होने की तिथि के 15वें दिन अथवा उससे पूर्व या एकमात्र प्रतिभूत जमाकर्ता कम्पनी के विशेषाधिकार द्वारा लिखित में सहमति के आधार पर विस्तारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी। उपर्युक्त लिखित के अनुसार सफल संविदाकार द्वारा भुगतान न कर पाने की स्थिति में संविदाकार द्वारा पहले जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः नीलामी हेतु रखा जायेगा तथा दोषी ऋणकताओं को किसी भी रूप में सम्पत्ति तथा/अथवा राशि के सन्दर्भ में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
11. कम्पनी की समस्त लागतों, प्रभारों तथा व्ययों अथवा इसके अंश, जैसा कि ''पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड'' या पीएफएल (पूर्व का मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड) द्वारा स्वीकार्य हों, सहित देनदारियाँ ई–नीलामी की तिथि सुनिश्चित होने से पूर्व किसी भी समय ऋणकताओं तथा/जमानतियों द्वारा/की ओर से जमा कर दी जाती है तो परिसम्पत्ति की बिक्री निरस्त की जा सकती है।
12. पंजीकरण प्रभार, स्टाम्प शुल्क, करों आदि सहित समस्त विधिक बकाये/सहायक प्रभार/अन्य बकाये केवल क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।
13. विक्रय प्रमाणपत्र उसी नाम से निर्गमित किया